राजस्थान-सरकार

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमन्द

क्रमांक : मुचिअ / संस्था / अराज / यूटीबी / 2023 / 4461 दिनांक 27/07/2023

-: विज्ञप्ति :-

श्रीमान शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक : प.14(1)चिस्वा / 2 / 2023 / राजकाज-940 / पाट-4 जयपुर दिनांक 13.07.2023 के द्वारा चिकित्सकों एवं श्रीमान् निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के पत्रांक : अराज / यूटीबी / 2023 / 369 दिनांक 24.07.2023 द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार, नर्सिंग संवर्ग नर्सिंग ऑफिसर (जीएनएम) एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम) के स्पष्ट रिक्त पदों को आवश्यक अस्थाई आधार यूटीबी पर विभाग के समसंख्यक आदेश प.1(1)चिस्वा / 2 / 2014 दिनांक 04.10.2014 एवं 09.11.2017 की पालना में उक्त पदों के लिये दिनांक 07.08.2023 को सांय 06..00 बजे तक दिये गये लिंक **https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUtNbLqX36bWK-jZhj70Iw5opDfpkyJcxZfs wMwASWd_7Q/viewform** पर आवेदन ऑनलाईन भर सकते है।

पदों को निम्न शर्तो के अध्याधीन भरे जायेंगे

1. रिक्त पदों की सीमा तक, दिनांक 31.03.2024 अथवा पदों पर नियमित कार्मिक उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो, तक लगाया जायेगा।
2. यूटीबी आधार पर उक्त पदों को भरे जाने के संबंध में राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 तथा समय-समय पर संशोधित नियम तथा भर्ती नियम मय अनुभव आधारित बोनस अंक की पालना की जायेगी।
3. आरक्षण एवं रोस्टर के नियमों की पालना सुनिश्चित की जायेगी।
4. इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी समय-समय पर नियमों / आदेशों / परिपत्रों आदि की पूर्ण पालना की जायेगी।
5. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.16(5)एफडी / रूल्स / 2014 दिनांक 03.07.2023 के अनुसार वेतन / मानदेय देय होगा।
6. यूटीबी आधार पर नियुक्ति हेतु चयनित / पात्र कार्मिकों के पदस्थापन प्राथमिकता के आधार पर पूर्णतया पद नव स्वीकृत सीएचसी / पीएचसी ऐसी सीएचसी जहां 50 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त है तथा सीमावर्ती / जनजाति क्षेत्रों आदि में स्थित चिकित्सा संस्थानों पर किया जायेगा।
7. चयन सूची में स्थानीय अभ्यर्थीयों को वरीयता दी जायेगी तथा पदों में कमी की जा सकती है।
8. अभ्यर्थी राजस्थान मेडिकल कौंसिल / राजस्थान नर्सिंग कौंसिल से आवेदन की अंतिम तिथि तक रजिस्टर्ड होना आवश्यक है।
9. चयन प्रकिया को किसी प्रकार से प्रभावित करने पर उम्मीदवार के आवेदन को निरस्त कर दिया जायेगा। प्रार्थी का जिला स्तरीय कमेटी द्वारा विभाग के रिक्त पद के विरूद्ध जिस स्थान हेतु पदस्थापन किया जायेगा। उसी स्थान पर कार्य करना होगा।

पदनाम	न्यूनतम योग्यता
चिकित्सा अधिकारी	एमबीबीएस एवं आरएमसी काउंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र
जी.एन.एम.	जीएनएम / बीएससी. नर्सिंग एवं आरएनसी काउंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र
ए.एन.एम.	एएनएम प्रशिक्षण एवं आरएनसी काउंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य धिकारी,
राजसमन्द

Signature valid

Digitally signed by Suresh Chand Meena
Designation : Reproductive Child Health Officer
Date: 2023.07.27 16:01:58 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4395394

Scanned with CamScanner